



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

#### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए-3-37/2017/1/पॉच (55) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-37/2017/1/पॉच (77) दिनांक 26.07.2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण ।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-37-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-37-2017-1-पांच (55), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> December 2023

No. F A 3-37/2017/1/V(55) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA-3-37-2017/1/V(65) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely: -

“Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union territory or a local authority.”

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20<sup>th</sup> day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.